वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कुलसचिव कार्यालय (रोवर्स/रेंजर्स)

पत्रांक : रोवर्स/रेंजर्स/ 260 / 2022 दिनांक: 30/ 11 /2022

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध
समस्त अनुदानित/राजकीय महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय– संयोजक रोवर्स/रेंजर्स के पद पर नामित किये जाने के सम्बन्ध में अर्ह शिक्षकों के आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु समय विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कुलपति जी के आदेश दिनांक 25.11.2022 के अनुपालन में मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि अंशकालिक संयोजक रोवर्स/रेंजर्स का कार्यकाल पूर्ण होने को है। उक्त पद पर नये सिरे से कुलपति महोदया द्वारा अर्ह एवं योग्य शिक्षकों में से अंशकालिक संयोजक रोवर्स/रेंजर्स नामित किया जाना है। संयोजक, रोवर्स/रेंजर्स की अर्हता एवं योग्यता का प्राविधान निम्नवत् होगा–

1 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य/रीडर (जहॉ रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम का संचालन विगत तीन वर्षों से किया जा रहा हो)।
2 महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स के लीडर पद पर वर्तमान में कार्यरत हों तथा उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाईड द्वारा कम से कम बेसिक प्रशिक्षण कोर्स प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
3 संयोजक की आयु चयन के समय 50 वर्ष से अधिक न हो।
4 संयोजक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। उत्कृष्ठ सेवा पर अध्यक्ष द्वारा एक वर्ष का सेवा विस्तरण किया जा सकेगा हैं।

अतः कुलपति जी के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि आप अपने महाविद्यालय के ऐसे अर्ह शिक्षकों को जो, उक्त पद के लिये अपना प्रार्थना–पत्र प्रेषित करना चाहें, उनके प्रार्थना–पत्र को लेकर और उसे अग्रसारित करके पंजीकृत डाक से अंशकालिक संयोजक, रोवर्स/रेंजर्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कार्यालय को आवेदन–पत्र जारी होने के 21 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में प्राप्त होना सुनिचित करें, ताकि कुलपति महोदया द्वारा संयोजक, रोवर्स/रेंजर्स को नामित किया जा सके।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1 कुलपति महोदया को उनके आदेश दिनांक 25.11.2022 के क्रम में संज्ञानार्थ।
2 विश्वविद्यलय वेब प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेब–साइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
3 कार्यालय प्रति।

कुलसचिव